



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2016/आश्विन 8, 1938

No. 694]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2016/ASVINA 8, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2016

सं. 45/2016-सेवा कर

सा.का.नि. 935(अ).—जहांकि, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि 1 अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ होने वाले और 10 जुलाई, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अवधि से संदर्भित किया गया है) में, उस समय सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुसार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66 घ के उपवाक्य (ठ) में यथा परिभाषित शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपने संस्थानों के विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले परिवहन सेवा पर सेवा कर नहीं लगाया जाता था जबकि उक्त अवधि में ऐसी सेवा पर सेवा कर लगाया जाना चाहिए था, लेकिन उक्त प्रथा के कारण नहीं लगाया जा रहा था।

अतः अब, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11 ग, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66घ के उपवाक्य (ठ) में यथा परिभाषित शिक्षण संस्थानों द्वारा उक्त अवधि के दौरान अपने संस्थानों के विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को जो परिवहन सेवा प्रदान की जा रही थी उस पर जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत सेवा कर लगाया जाना था (लेकिन उक्त प्रथा के चलते नहीं लगाया गया) उसका उक्त अवधि के संबंध में भुगतान किए जाने की जरूरत नहीं है।

[फा. सं. 137/73/2015-सेवा कर]

राजीव यादव, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

No. 45/2016-Service Tax

G.S.R. 935(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that in the period commencing on and from the first day of April, 2013 and ending with the tenth day of July, 2014 (hereinafter referred to as the said period) according to a practice that was generally prevalent, there was non levy of service tax, on the provision of the service of transportation, by educational institutions as defined in clause (l) of section 66 D of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) during the said period, to students, faculty and staff of such institutions and this service was liable to service tax, in the said period, which was not being paid according to the said practice.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby directs that the service tax payable under section 66B of the Finance Act, 1994 but for the said practice, on the service of transportation, by educational institutions as defined in clause (l) of section 66 D of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) during the said period, to students, faculty and staff of such institutions, shall not be required to be paid.

[F. No. 137/73/2015-Service Tax]

RAJEEV YADAV, Director